3/यो0स०क०-20/2022

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग 10

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -13.04.2026

विषयः- **मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल) हेतु वितीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम मद में रू0 5906.30 लाख (उनसठ करोड छः लाख तीस हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5722 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने तथा समाज में दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना क्रियान्वित किया गया है। वितीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल) के सफल क्रियान्वयन हेतु मूल उदव्यय के रूप में राज्य योजना मद के विभिन्न घटकों में कुल रू० 5906.30 लाख (उनसठ करोड छः लाख तीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू. लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल)	(51-2235021010119)	0119.31.06	4506.30
		(51-2235027890111)	0111.31.06	1400.00
कुल योग : (उनसठ करोड छः लाख तीस हजार)				**5906.30**

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार जिलों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक -12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि0 दिनांक 25.03.2026, 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-20/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-18/टि0 पर दिनांक-08.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-20/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-18/टि0 पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

13/4/26

(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-20/2022 10 /....................../दिनांक-13.04.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-20/2022 10 /....................../दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-20/2022 10 /....................../दिनांक-13.04.2026

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,